

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाथूलाल जाट बनाम विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी आमेर)  
(जीसीएमएस नं. 2020 / 00898) 901 / 20

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

21.12.20

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।  
उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर  
मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया  
जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी, आमेर) के संपरिवर्तन आदेश दिनांक  
08.01.1999 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील न्यायालय हाजा  
के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि विहित प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी) के संपरिवर्तन सम्बन्धी आदेश के  
विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत  
प्रथम अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा हो  
प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की हस्तगत  
न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने पर अपील पर  
अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं  
है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील  
न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नहीं होने से अपील  
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्ट  
को वापस लौटाई जावे तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद  
तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

(डॉ.समित शर्मा)

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर